न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री **कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **395/2022** दायर दिनाँक **27.09.2022**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जैनब पत्नी अब्दुल रजाक 2. अब्दुल गफ्फार पुत्र मेहराब खां समस्त जाति देशवाली निवासीगण खिंचियाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री हरफुल राव वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **30.09.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा खिंचियाबासनी के खसरा सं0 50 रकबा 24.15 बीघा अवस्थित है जिसके नये खसरा सं0 64 रकबा 4.0100 हैक्टयर बारानी प्रथम जो वर्तमान में वादीगण के पिता जैनब के ससूर व दादे ससुर व अब्दुल गफ्फार के दादा, षडदादा खजु पुत्र दुला कौम देशवाली व उसके पश्चात राजस्थान सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उपरोक्त आराजियात खसरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त पहले वादीगण के पूर्वजों के पिता व दादा खाजु वल्द दुला का था और उनके स्वर्गवास के पश्चात अब कब्जा काश्त वादीगण का है। नकल जमाबन्दी, खसरा मिलान एवं गिरदावरी सं0 2006 से आज तक पेश है।

उक्त वर्णित समस्त भूमियों पर वादी के पिता एवं दादा पूर्वज खाजू वल्द दुला व मेहराब खां, ईशाक व उनके स्वर्गवास पश्चात वादीगण के अलावा अन्य किसी का कब्जा काश्त नहीं रहा। आज भी लगातार कब्जा काश्त वादीगण का ही है। परन्तु राजस्व [illegible] पर सं0 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि राजस्व महकमा [illegible] दर्ज हो गया जबकि उक्त महकमा कस्टोडियन के नाम से खातेदारी [illegible] में वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि रही है। [illegible]64 रकबा 4.0100

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40.10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टयर बारानी प्रथम की खातेदारी महकमा कस्टोडियन दर्ज हो गई जिस कारण से वादीगण को राजस्व रेकर्ड में खसरा सं0 64 रकबा 4.0100 हैक्टयर बारानी प्रथम की खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीगण है कि मौजा खिंचियाबासनी के खसरा सं0 50 रकबा 24.15 बीघा जिसके नये खसरा सं0 64 रकबा 4.0100 हैक्टयर बारानी प्रथम जो पूर्व में वादीगण के पिता, दादा पडदादा खाजू पुत्र दुला कौम देशवाली के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, उसके बाद वर्तमान में महकमा कस्टोडियन राजस्थान सरकार के नाम खातेदारी दर्ज है। मौजा खिंचियाबासनी की भूमि खसरा सं0 64 रकबा 4.0100 हैक्टयर बारानी प्रथम की राजस्व रेकर्ड में खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जावें तथा उपरोक्तानुसार डिक्री वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी का पेश हुआ।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा खिंचियाबासनी के खसरा सं0 50 रकबा 24.15 बीघा जिसके नये खसरा सं0 64 रकबा 4.0100 हैक्टयर बारानी प्रथम की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (कलक्टर)

निर्णय आज दिनाँक 30.09.2022 [illegible] इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:10 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (कलक्टर)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 395/2022 दायर दिनाँक 27.09.2022

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जैनब पत्नी अब्दुल रजाक 2. अब्दुल गफ़ार पुत्र मेहराब खां समस्त जाति देशवाली निवासीगण खिंचियाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 30.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री कमल मोठ वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा खिंचियाबासनी के खसरा सं0 50 रकबा 24.15 बीघा जिसके नये खसरा सं0 64 रकबा 4.0100 हैक्टयर बारानी प्रथम की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—.................... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हद लेना चाहिये चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner